न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–106/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम दीपक राय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
19/11/2019	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–728/गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक–23.05.2018 से प्राप्त जाले थाना कांड सं0–108/17 दिनांक 07.07.2017 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR0AV-0716 को राज्यसात् करने हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में वाहन स्वामी का नाम/पता प्रस्ताव में अंकित नहीं रहने के कारण एवं प्रतिवेदन–01 में वाहन पंजीयन संख्या अस्पष्ट रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से चेचिस नम्बर एवं इंजन नम्बर के अनुसार वाहन स्वामी के नाम/पता प्राप्त किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि उक्त गाड़ी का वास्तविक पंजीयन संख्या BR06AU-0746 है, जो दीपक राय, पिता–स्व0 बहादुर राय, मुजफ्फरपुर के नाम से है, जिसे निबंधित डाक से कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत के पश्चात् भी विपक्षी वाहन स्वामी इस वाद की कार्यवाही में न तो उपस्थित हुए औरं न ही कोई कारण पृच्छा दाखिल किये, इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल रात्रि गश्ती के दौरान कदम्ब चौक की ओर जा रहे थे तो देखा कि एक मोटरसाईकल पर सवार दो व्यक्ति बीच सीट पर दो बोरा में रखा सामान लेकर जा रहे थे। पुलिस गाड़ी को देखते ही वो तेजी से भागने का प्रयास किया तो शक के आधार पर पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया तो दोनों व्यक्ति मोटरसाईकिल एवं बोरा में रखा सामान छोड़कर भाग गये। दोनों बोरों की तलाशी लेने पर उसमें से कुल 215 (दो सौ पन्द्रह) बोतल, प्रत्येक बोतल में 180*ml* का विदेशी शराब का Royal GENFROPL Reserve Whisky बरामद किया गया। जिसे मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन, चौर्य व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त मोटरसाईकिल से भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन, चौर्य व्यापार अथवा सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु चार माह से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी वे न तो इस वाद में उपस्थित हुए और न ही कारण पृच्छा

दाखिल किये। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

अतएव जाले थाना कांड सं0–108/17 दिनांक 07.07.2017 में जब्त वाहन मोटरसाईकिल पंजीयन सं0–BR06AU-0746 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा